



**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
जिला विदिशा (म.प्र.)**

क्रमांक/3091/20

विदिशा दिनांक 28/12/2020

4/12/2021

**— निविदा विज्ञप्ति — 2020-21**

**विषय :- पुस्तकालय के लिए पुस्तकों के कय हेतु भावपत्र (निविदा) का आमंत्रण।**

—00—

इस महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का कय किया जाना है। पुस्तक विक्रेता निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अंदर अपने भाव पत्र केवल निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए सीलबंद लिफाफे में भेजें।

पुस्तकें कय हेतु सीलबंद लिफाफे पर निविदा तथा निविदा भेजने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य है।


क्र.	विदेशी पुस्तकें व विदेशी मुद्रा	भारतीय मुद्रा में परिवर्तन	कटौती की दर
1	पौंड		
2	डॉलर		
3	अन्य विदेशी मुद्रायें		

भारतीय पुस्तकें

क्र.	विभिन्न विषयों की अंग्रेजी एवं हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकें स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें	कटौती की दर
1	हार्ड बाउंड पेपर बेक्स	
2	स्व प्रकाशन	
3	शासकीय प्रकाशन एवं शासकीय नियमों से संबंधित पुस्तकें	
4	संगीत, संस्कृत एवं उर्दू की पुस्तकें	
5	उपन्यास, अंग्रेजी, उर्दू, हिन्दी	
6	संदर्भ पुस्तकें	
7	ई-बुक्स	
8	वि.वि.प्रकाशन	
9	विदेशी प्रकाशन	
	इसके अतिरिक्त निम्न जानकारी अलग से दी जाये	
1	पैकिंग, फारवर्डिंग, चार्जस	
2	टैक्स यदि देय हो	
3	अवधि जिसमें कयादेश की पूर्ति कर सकें	

नोट :-

- निविदा प्रस्तुत करने वाले पुस्तक प्रकाशक, विक्रेताओं को दी गई समय सीमा में निर्धारित दरों पर आदेश के अनुसार पूर्ति करना होगी। ऐसा न करने पर कयादेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा और महाविद्यालय कमिक निविदाकर्ता को आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा।
- पुस्तकें नवीन संस्करण की होना चाहिये।
- आयकर विभाग का Permanent Account No एवं GST Registration आवश्यक है।
- पुस्तकों पर मुद्रित मूल्य ही मान्य होगा। मुद्रित मूल्य न होने पर प्राइज प्रूफ देना अनिवार्य है।
- एफओआर शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय विदिशा होगा।
- पुस्तकें यदि पायरेटेड पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित पुस्तक विक्रेताओं, प्रकाशकों का होगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं भविष्य में उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
- विदेशी प्रकाशनों पर मुद्रा की विनिमय दर, प्रचलित विनिमय दर ही मान्य होगी एवं भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जायेगा।
- किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य का होगा। जो निविदाकर्ताओं के लिए बंधनकारी होगा।
- पुस्तकें के कय संबंधी अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होंगे। कोई भी विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय ही सर्वोपरि होगा।

  
डॉ. (श्रीमती) मंजू जैन  
प्राचार्य

शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
जिला विदिशा (म.प्र.)